अनुसूची—चार
नियम 4 (8)
आवेदन का प्रारूप

पासपोर्ट साईज की हस्ताक्षर युक्त फोटो चस्पा करें

नगरीय निकाय का नाम ....

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. श्रेणी : अ.ना. ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व. ☐
5. लिंग : पुरूष ☐ महिला ☐ अन्य ☐
6. धर्म : हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ पारसी ☐ ईसाई ☐ अन्य ☐
7. जन्म दिनांक : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
8. वैवाहिक स्थिति : हॉ ☐ नहीं ☐
9. राष्ट्रीयता : ☐☐☐☐☐☐☐☐
10. उम्र ( ) वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन ☐☐
11. वर्तमान पता :—

नाम : ....
पो. : .... शहर : .... जिला : ....
राज्य : .... पिनकोड : ....
मोबाईल नम्बर : .... ई—मेल आई.डी. ....

12. स्थाई पता :—

नाम : ....
पो. : .... शहर : .... जिला : ....
राज्य : .... पिनकोड : ....

13. प्रोफेशनल एवं शैक्षणिक योग्यता :—

प्रोफेशनल/शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रतिशत

14. पूर्व में किये गये कार्य का विवरण :–

स.क्र.	कार्य स्थल का नाम और पता	पद का नाम	सेवा का समयकाल		भूमिका एवं जिम्मेदारी
			से	तक	

15. किए गए प्रोजेक्ट का विवरण (यदि कोई हो) :–

....

....

....

....

....

....

सत्यापन

मैं .... आत्मज श्री .... निवासी .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन–पत्र में मेंरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं पूर्ण है। यदि मेंरे द्वारा दी गई जानकारी में असत्यता पाई जाती है तो नियुक्ति के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद मुझे सेवा से अयोग्य माना जाएगा जिस के लिए पेनल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुसूची–छः
(नियम 4 (12(6)) देखिए)

संविदा अनुबंध पत्रः–

यह अनुबंध मध्य प्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा नियम 2021 के अंतग्रत संविदा सेवा हेतु चयनित प्रथम पक्ष श्री/श्रीमती .... निवासी .... तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी .. ..के मध्य निम्न शर्तो के अधीन निष्पादित किया जाता है:–

अनुबंध की शर्तेः–

1. **संविदा मानदेयः–**
   - 1.1 नगरीय निकाय के लिये स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पद .... पर नियोजित प्रथम पक्ष को संविदा मानदेय का भुगतान रूपये .... प्रति माह किया जाएगा।
   - 1.2 राज्य शासन या सार्वजनिक लोक उपक्रम के सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन किया जाएगा।
   - 1.3 अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदा मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
   - 1.4 संविदा की अवधि में एक वर्ष के बाद वृद्धि होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के मानदेय में उसके कार्यो के मूल्यांकन उपरांत आगामी वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी, जो अधिकतम मानदेय से अधिक नही होगी।

2. **संविदा सेवा की अवधि तथा नियुक्तिः–**
   - 2 1 संविदा नियुक्ति की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।
   - 2.2 संविदा कालावधि की वृद्धि :– संविदा अवधि पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति के मूल्यांकन के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त सेवक की संविदा कालावधि में एक बार में अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी परंतु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नही होगी।
   - 2.3 परंतु यह वृद्धि पक्ष कमांक 01 की आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक समय तक नही की जा सकेगी। परंतु यह और भी कि चयन समिति मूल्यांकन के मापदण्ड का निर्धारण कर सकेगी।

3. **संविदा कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण** :– पक्ष कमांक 01, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति शासन तथा नगरपालिका के सेवकों के लिए लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे।

4. **कदाचरण या किसी आपराधिक कियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्यवाही :–** इस अनुबंध की कंडिका 03 के अधीन किसी कदाचरण पर या उन नियमों के अधीन नियुक्ति सेवा के सदस्यों के विरूद्ध किसी गंभीर आरोप होने पर जांच उपरांत नियुक्त प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संविदा अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

5. **अन्य शर्ते :–**

5.1 पक्ष कमांक 01, संविदा पर नियुक्ति का आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नही करने की दिशा में, नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

5.2 पक्ष कमांक 01, को सेवा के दौरान, शासकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा तथा दैनिक भत्तों का निर्धारण वैसा ही किया जाएगा जैसा कि उस श्रेणी के समकक्ष अधिकारी/कर्मचारी को शासन के नियमों के अनुसार दिया जाता है। श्रेणी का वर्गीकरण मुख्यतः संविदा वेतन के आधार पर किया जाएगा।

5.3 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, को अनुकम्पा नियुक्ति, पेंशन उपादान मृत्यु लाभ संबंधी सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नही होगी। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मंहगाई भत्ते, गृहभाडा भत्ते, या किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नही होगा।

5.4 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा योजना करनी होगी तथा इस बात की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगी।

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगा।

5.5 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, स्थानांतरित नही किया जा सकेगा।

5.6 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, नियमितिकरण के लिए हकदार नही होंगे।

5.7 संविदा सेवा किसी भी एक पक्षकार द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना के पश्चात या एक माह की संविदा रकम का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

5.8 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, को एक कैलेन्डर वर्ष की सेवा में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही, इस कालावधि में एक सप्ताह का चिकित्सा अवकाश तथा छः माह पश्चात एक सप्ताह के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।

5.9 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, के बिना सूचना के 3 दिवस तक लगातार अनुपस्थित होने की दशा में तद्नुसार वेतन कटोत्री की जाएगी।

5.10 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, के महिला होने की स्थिति में उन्हें अधिकतम 90 (नब्बे) दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

5.11 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01, बिना किसी विशिष्ट कारण के तथा बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उक्त अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

5.12 सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

5.13 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय जिला मेडीकल बोर्ड का फिटनेस/मेडीकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6. इस संविदा अनुबंध की किसी शर्त के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

साक्षी

हस्ताक्षर ....

(1) नाम ....

पता ....

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर ....

पद ....

हस्ताक्षर ....

(2) नाम ....

पता ....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर ....

पद ....

आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरीय निकाय का नाम...............

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.